

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

* थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3315 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3315 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत डाडिया कला से कालर द्वारा दो बाईक आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1. धर्मेन्द्र पुत्र अमरनाथ ग्राम डुमरिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर 2. सुरेश पुत्र सोमई ग्राम बांसी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 किशन कुमार, हो0चा0 झिनकू मौर्या ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 74 वाहनों से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 74 वाहनों से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

यातायात जागरूकता बढ़ाने हेतु यातायात पुलिस संतकबीरनगर द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जल जीवन मिशन के कर्मचारियों के साथ निकाली गयी यातायात जागरूकता रैली

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अजीत चौहान के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात श्री परमहंस के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के कर्मचारियों के साथ मेहदावल बाईपास से मधुकुंज तिराहा, बरदहिया, गोला बाजार से पुनः मेहदावल बाईपास तक यातायात जागरूकता से संबंधित रैली का आयोजन किया गया तथा यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ दिलाई गई तथा हेलमेट पहन कर चलने वाले चालकों को फुल देकर सम्मानित किया गया और जो चालक बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाते पाए गए उनको जागरूक करते हुए छोड़ा गया और हिदायत भी दिया गया कि आपका जीवन अमूल्य है इसे व्यर्थ न गवाएं । इस दौरान जल जीवन मिशन के अधिकारी/कर्मचारी प्रमोद सिंह, अरविन्द सिंह, आशीष के0वी0, आदित्य मिश्रा, शशिकांत तिवारी आदि मौजूद रहे ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री केशवनाथ के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 295/2024 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता राजन गौंड पुत्र पट्टू उर्फ जय हिंद गौंड निवासी रमवापुर सरकारी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को सरहरा मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 30.12.2024 को थाना बेलहरकला पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम थानाध्यक्ष बेलहरकला, व0उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, का0 बृजेश सिंह, म0का0 पुष्पांजली ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अजीत चौहान के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 938/2024 धारा 64(1), 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता राहुल राय पुत्र धर्मदेव राय निवासी कोल्हुवा लकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को दिनांक 13.01.2025 को चनवापार तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की पुत्री के साथ उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.11.2024 की रात्रि में जबरन दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्यवाही कर दिनांक 13.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, का0 रामकेवल, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री केशवनाथ के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 394/2024 धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता जिगनेश पुत्र सुरेश भाई निवासी ओडोव थाना ओडोव जनपद अहमदाबाद राज्य गुजरात को आज दिनांक 14.01.2025 को बस स्टेशन मेंहदावल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 28.12.2024 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के दिनांक 27.12.2024 को घर से चले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 शरद कुमार राय।